463

निशानी 1434-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

लखन लाल पाण्डेय पुत्र श्री शारदादीन पाण्डेय, निवासी–ग्राम खैराकलाँ, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ——आवेदक

विरूद्ध

1 बालचन्द्र पुत्र श्री धूराम पाठक, निवासी–पाटन, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

———अनावेदकगण

<u>न्यायालय तहसीलदार, तहसील विजावर, जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्र. 95/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 02/06/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> –

1. यह कि, ग्राम खैराकलाँ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 207/1 एवं 207/3 कुल किता 2, कुल रकवा क्रमशः 0.492 एवं 0.492 हेक्टेयर कुल रकवा 0.984 हेक्टेयर परमानन्द तनय धूराम बैरागी पुजारी मंदिर हनुमान जी के नाम दर्ज थी। यह भूमि की सेवा पूजा हेतु पुजारी परमानन्द को ग्राम के जमींदार द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी। किन्तु राजस्व अभिलेख में मंदिर का नाम नहीं आ सका तथापि भूमि मंदिर की ही थी एवं है।

2. यह कि, अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा परमानन्द बैरागी के फर्जी वसीयतनामा के आधार पर तहसील न्यायालय विजावर के समक्ष नामांतरण हेतु

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-1434-एक/2015 जिला-छतरपुर

लखनलाल पाण्डेय विरूद्ध बालचन्द्र व म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार विजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 95/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण	

09/1/19

याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर, छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जायें ।

(आर.के. जैन) 09/1/19
सदस्य